रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्येष्ठ 11, 1929
No. 142] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

विषय : परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन 1 जुलाई, 2007 से बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(1).—दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था और बाद में इन प्रावधानों को 30 जून, 2007 तक बढ़ा दिया गया था ।

2. सरकार ने परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 1 जुलाई, 2007 से छः महीने की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

कैसर शमीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2007

Sub.: Extension of operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st July, 2007.

No. 1/61-2004-Exports-I(1).—Attention is invited to Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004 *vide* which the Government decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies initially for one year with effect from 1st January, 2005 and later on these provisions were extended upto 30th June, 2007.

2. Now, the Government has decided to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies for a further period of six months with effect from 1st July, 2007.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

QAISER SHAMIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

विषय : यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन 1 जुलाई, 2007 से बढ़ाया जाना ।

सं. 1/61/2004-निर्यात-1(2).—दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था और बाद में इन प्रावधानों को 30 जून, 2007 तक बढ़ा दिया गया था ।

2. सरकार ने यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 1 जुलाई, 2007 से छः महीने की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

कैसर शमीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2007

Sub. : Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st July, 2007.

No. 1/61-2004-Exports-I(2).—Attention is invited to Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004 *vide* which the Government decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies initially for one year with effect from 1st January, 2005 and later on these provisions were extended upto 30th June, 2007.

2. Now, the Government has decided to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies for a further period of six months with effect from 1st July, 2007.

3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

QAISER SHAMIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.